उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यटन अनुभाग
संख्या-30/2022/आई/130614/ 41-1002(001)/137/2021-167(बजट)/2021
लखनऊ:: दिनांक 09 जनवरी, 2022

शुद्धि-पत्र

जनपद आजमगढ के ग्राम-चन्दौका, वि0ख0-पल्हनी स्थित पूर्वी माता मंदिर स्थल का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-652/2021/आई/116278/41-1002(001)/137/2021-167(बजट)/2021 दिनांक 24.11.2021 के पृष्ठांकन-06 में अंकित मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ के स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर तथा पृष्ठांकन-10 में अंकित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, गोरखपुर/आजमगढ मण्डल, गोरखपुर के स्थान पर क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, गोरखपुर अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 24.11.2021 संशोधित समझा/पढा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, लखनऊ।
4. निदेशक, उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण **(UPNEDA)**, लखनऊ, उ0 प्र0।
5. जिलाधिकारी, आजमगढ़।
6. मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, आजमगढ़।
8. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 व 12 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
10. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, गोरखपुर।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
12. अधिशाषी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग प्रखण्ड-आजमगढ़।
13. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in